न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 28/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 25.4.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज0 जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर आत्मज पीरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

... अपीलार्थी

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, कोटा।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।
3 जुम्मा पुत्र ईस्माईल अंसारी जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
4 सुभान पुत्र ईस्माईल अंसारी जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री तेजमल जेन अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–3 व 4

–:::निर्णय:::–

दिनांक 11.1.2018

1 अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 283/2001 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज0 जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर बनाम स्टेट आफ राज0, जुम्मा वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 17.8.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर अपील धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की है।

2 अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक वाद/प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा मे ख0 नं0 495 रकबा 4 बीघा कब्रिस्तान की भूमि जो वक्फ सम्पत्ति है। जो सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0 नं0 779 की 0.04 है0 तथा 780 रकबा 0.72 है0 मे तब्दील कर रेवेन्यू रिकार्ड मे इन्द्राज किया गया। सेटलमेट के दौरान कब्रिस्तान की भूमि मे से दक्षिण दिशा की भूमि को ख0 नं0 778 बनाकर सिवायचक दर्ज कर दिया तथा पुराने कब्रिस्तान की भूमि का रकबा बढाकर कुछ खाली भूमि कब्रिस्तान की भूमि मे शामिल कर दी गई जो मौजूदा नक्शे मे स्पष्ट होती है। अतः कब्रिस्तान की भूमि को सिवायचक से निकाल कर पुनः कब्रिस्तान की भूमि दर्ज की जावे तथा जो भूमि अतिरिक्त शामिल कर दी गई उसको निकाल कर रकबा कम कर पूर्ववत 4 बीघा 11 बिस्वा के बराबर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रार्थी का वाद निर्णय दिनांक 17.8.2016 को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपील न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलांट को बिना सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये पारित किया है जो कानून न्याय एवं तथ्यो के विपरीत है। वक्त वर्णित भूमि वक्फ सम्पत्ति है जो दर्ज राजस्व रिकार्ड है। न्यायालय हाजा के पूर्ण निर्णय दिनांक 8.11.2005 प्रकरण सं0 136/2002 मे दिये गये निर्देशो की पालना भली प्रकार से नही की गई। मौके पर कब्रिस्तान की पूर्वानुसार भूमि पूर्ण है किन्तु सेटलमेंट बाद कब्रिस्तान का स्थान परिवर्तन कर दिया गया और पूर्व मे बनी हुई कब्रो को उक्त कब्रिस्तान से बाहर

कर दिया गया है और नाकारा भूमि मे चारो और कोट खिंचवाकर कबिस्तान दिखा दिया गया। जबकि कब्रिस्तान के पूर्व ख0 495 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा थी उसके बाद नाकारा जमीन मिलाकर रकबा बढा दिया गया तथा कब्रिस्तान की आराजी नया रकबा 778 कायम कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया जबकि ख0 नं0 778 पूर्व ख0 नं0 795 का भाग है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से पत्रावली की आदेशिकाओं मे कंटिग व हेर फेर करते हुये आरबेट्रेरी करते हुये उक्त निर्णय पारित कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम 3 व 4 द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का पट्टा जारी करना बताया गया जो कानूनी सिद्धातो के विपरीत है क्योकि कब्रिस्तान की भूमि का किसी के नाम पट्टा जारी नही किया जा सकता। इसकी आड मे कब्रिस्तान की दीवार तोड कर कब्जा कर निर्माण अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजरअदांज करते हुये निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.8.2016 निरस्त किया जावे तथा पूर्व की भांति उक्त आराजी कब्रिस्तान की भूमि कब्रिस्तान को यथास्थान दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस मे प्रकट किया कि खातोली तहसील पीपल्दा मे ख0 नं0 495 रकबा 4 बीघा कब्रिस्तान की भूमि जो वक्फ सम्पत्ति है। सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0 नं0 779 की 0.04 है0 तथा 780 रकबा 0.72 है0 मे तब्दील कर रेवेन्यू रिकार्ड मे इन्द्राज किया गया। सेटलमेट के दौरान कब्रिस्तान की भूमि मे से दक्षिण दिशा की भूमि को ख0 नं0 778 बनाकर सिवायचक दर्ज कर दिया तथा पुराने कब्रिस्तान की भूमि का रकबा बढाकर कुछ खाली भूमि कब्रिस्तान की भूमि मे शामिल कर दी गई जो मौजूदा नक्शे से स्पष्ट है। न्यायालय हाजा के पूर्ण निर्णय दिनांक 8.11.2005 प्रकरण सं0 136/2002 मे दिये गये निर्देशो की पालना नही कर तथ्यो को नजरअंदाज किया है। कब्रिस्तान की भूमि का किसी के नाम पट्टा जारी नही किया जा सकता। पट्टा धारक का कोई अधिकार नही है। हमे सुनवाई का अवसर नही दिया। आदेशिकाओं मे कांट छांट कर हेरफेर करते हुये आरबेट्रेरी करते हुये निर्णय पारित कर त्रुटि की है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा पूर्व की भांति उकत आराजी कब्रिस्तान की भूमि को यथावत दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–3 व 4 ने बहस मे बताया कि बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ राज0 जरिये मुतवल्ली द्वारा उपखण्ड अधिकारी इटावा के न्यायालय मे ख0 नं0 496 के संबध मे दावा पेश किया गया जिसमे पारित निर्णय दिनांक 28.8.2002 के विरूद्ध रेस्पो0 क्रम 3 व 4 द्वारा अपील माननीय न्यायालय मे पेश की गई जिसे 8.11.2005 को आंशिक रूप से स्वीकार कर स्वंय मौका देखकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड निर्देशो की पालना मे मौका देख कर जेरअपील निर्णय पारित किया है। ख0 नं0 496 कभी वक्फ के नाम नही रहा है। ख0 नं0 495 वक्फ की सम्पत्ति है। माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट द्वारा भी तनकी सं0 5 मे वक्फ का होना नही माना है। आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित रहे है तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया। रेस्पो0 अभि0 ने अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यो का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7 अपील पत्रावली का गुणावगुण पर विचार कर पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजात एवं जेरअपील निर्णय का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ दस्तावेजात, निर्णय दिनांक 2.4.11 मि0 सं0 80/02 न्यायालय एडीजे क्रम–5, आर्डर आफ दी हाई कोर्ट जयपुर अपील नं0 4270/06 दिनांक 23.3.2012, पट्टा दिनांक 25.12.74 ग्राम पंचायत खातोली, इकरारनामा दिनांक 25.1.02 पेश कर सुसगंत दस्तावेज होने से रिकार्ड पर लिये जाने का

राजस्व अपील अधिकरण कोटा

अनुरोध किया। प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात के अवलोकन तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन उपरात प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपी दस्तावेजात निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण मे पूर्व मे न्यायालय हाजा द्वारा अपील सं0 136/02 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान जुम्मा, सुभान बनाम बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज0 जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर पुत्र पीरमोहम्मद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 8.11.2005 अनुसार उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि ''वे इस प्रकरण मे स्वयं मौका देखकर राजस्व अभिलेखो का भली प्रकार अवलोकन कर विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करे। इस प्रकरण मे वक्फ बोर्ड एक पक्षकार है तथा वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति व्यापक जनहित की सम्पत्ति है अतः पूर्ण संवेदना के साथ यह सुनिश्चित किया जावे कि ख0 नं0 496 क्या पूर्व मे आबादी भूमि का भाग था तथा अपीलार्थी जुम्मा के द्वारा खरीदी गई भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार था इन सभी तथ्यो का मौके पर जांच एवं निरीक्षण कर प्रकरण मे नये सिरे से निर्णय किया जावे।'' जेरअपील निर्णय दिनांक 17.8.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील सं0 136/02 मे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 8.11.2005 मे दिये गये उक्त रिमांड निर्देशो की पालना का अभाव रहा है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही माना जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय 17.8.2016 अपास्त किया जाता। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को, न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व प्रकरण अपील संख्या 136/02 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान जुम्मा, सुभान बनाम बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज0 जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर पुत्र पीरमोहम्मद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 8.11.2005 मे दिये गये दिशा निर्देशो का अवलोकन कर पुनः विधि सम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

8 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा मिसल सं0 283/2001 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज0 जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर बनाम स्टेट आफ राज0, जुम्मा वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 17.8.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि पूर्व मे न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 136/02 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान जुम्मा, सुभान बनाम बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज0 जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर पुत्र पीरमोहम्मद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 8.11.2005 मे दिये गये दिशा निर्देशो का अवलोकन कर पुनः विधि सम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करें।

9 निर्णय आज दिनांक 11.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा